फर्द अहकाम

जगदीश प्रसाद **बनाम** कडमल वगैरह

नाम न्यायालय ~~SD~~ ACEM (F.T.) शाहपुरा

केस संख्या 20/18

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	18.6.18	हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वाद पत्र के मुताबिक विवादित भराजी खाता नं. 847, 848, 849, 851 से 855 वाही/प्रतिवादी के पूर्वज गोतान पुत्र नानू के नाम दर्ज रही है जिनका विरासत द्वारा नामान्तरण हुवे वारिस हरिनारायण गणेश मजुरा बींजा पि० गोतान के नाम दर्ज की गई। लेकिन वर्तमान रिकार्ड मे गणेश के वारिसान के नाम मे मात्र प्रतिवादीगण के नाम ही दर्ज की गई जबकि मुताबिक ~~सरकार~~ सजरा पैमाईश के मुताबिक प्रतिवादी सं० 1 के अलावा वादीगण तरफीकी प्रतिवादी भी ~~अ~~ मृतक गणेश का वारसी वारिस है। प्रतिवादी तथा तरफीकी प्रतिवादी ने इस सम्बन्ध मे राजीनामा भी पेश किया है। अतः राजस्व लोक अदालत की अवधारणा को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाता है कि भराजी खा० नं० 2317, 2334, 2335, 2336, 2339, 2346, कुल किता 6 रकबा 1.30 है० सम्पूर्ण तथा भराजी खा० नं० 902, 903, 2319, 2320, 2321, 2329, 2331, 2332, 2337 कुल किता 9 रकबा 2.72 है० हिस्सा 1/4 वाके ग्राम म्हारखुर तहसील शाहपुरा के प्रतिवादी कडमल पुत्र गणेश कौम मीणा का नाम हटाकर जगदीश, भैरूराम मदनलाल, कडमल पि० गणेश ~~सरस्वती, देवी पुत्रीयान हरिनारायण~~ सरस्वती पुत्री गणेश पत्नि देवीलाल, सेरी पुत्री गणेश पत्नि शेषमल हिस्सा बराबर जातिगण मीना निवासी म्हारखुर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का अंग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली केसरा जुर्ना होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।	